मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4089
04.01.2019 को उत्तर के लिए

वन का संरक्षण

4089. श्री अशोक महादेवराव नेते:
श्रीमती सावित्री ठाकुर:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वनों की संख्या में लगातार कमी दर्ज की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा और डेटा क्या है;

(ग) क्या वनों के घटते घनत्व की क्षतिपूर्ति के लिए कोई विशेष योजना लाई जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में जन सामान्य को अधिक जागरूक बनाने के लिए कोई जन जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने देश में वनों के उचित विकास और संरक्षण के साथ-साथ वन आधारित उद्योगों के विकास और इन उद्योगों में कार्यरतलोगों के विकास के लिए भी उपयुक्त कार्यक्रमों से संबंधित कोई कदम उठाया है/उठाए जाने का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(डॉ. महेश शर्मा)

(क) और (ख) जी नहीं। मंत्रालय के अधीनस्थ संगठन, भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा प्रकाशित नवीनतम भारत वन स्थिति रिपोर्ट अर्थात आइएसएफआर-2017 के अनुसार देश में कुल वनावरण और वृक्षावरण 8,02,088 वर्ग किलोमीटर है (वनावरण 708273 वर्ग किलोमीटर, वृक्षावरण 93815 वर्ग किलोमीटर), जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.39% है। आइएसएफआर-2015 के कुल वनावरण और वृक्षावरण की तुलना में, 8021 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि (वनावरण 6788 वर्ग किलोमीटर और वृक्षावरण 1243 वर्ग किलोमीटर) हुई है।

(ग) देश के वन क्षेत्र में और वृद्धि करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं, जैसे- राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) और हरित भारत मिशन (जीआइएम) के अधीन वनीकरण कार्यक्रमों को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। विभिन्न कार्यक्रमों/निधियन स्रोतों जैसे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाइ) और प्रतिपूरक वनीकरण निधि के अधीन भी वनीकरण क्रियाकलापों को क्रियान्वित किया जाता है। राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआइएम) जलवायु परिवर्तन के संबंध में राष्ट्रीय कार्रवाई योजना के अधीन रूपरेखित आठ मिशनों में एक है। इसका उद्देश्य भारत के वनक्षेत्र को संरक्षित करना, बहाल करना और उसमें वृद्धि करना तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु कार्रवाई करना है। जीआइएम क्रियाकलाप की शुरूआत वित्तीय वर्ष 2015-16 में की गई थी। इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा राज्य वन विकास एजेन्सियों, ग्राम पंचायतों/ग्राम सभाओं और ग्राम स्तर पर स्थापित विभिन्न समितियों के माध्यम से किया जा रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) देश में लोगों की भागादारी से अवक्रमित वनों

और उनके निकटवर्ती क्षेत्रों के वनीकरण और पारिस्थितिकीय बहाली के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है।

(घ) मंत्रालय इस तथ्य को मानता है कि देश में वनों के संरक्षण के लिए आम जनता के बीच प्रचार और जागरूकता कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। केन्द्रीय और राज्य सरकारों की बहुत सी वन योजनाओं में प्रचार और जागरूकता उत्पन्न करने का अन्तर्निहित संघटक होता है। लोगों को वनों के संरक्षण के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने हेतु प्रत्येक राज्य सरकार का एक अलग प्रचार और प्रसार स्कन्ध होता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की भी पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण (ईईएटी) नामक एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है। इस योजना का लक्ष्य देश भर में स्कूल और कालेज स्तर पर छात्रों के बीच पर्यावरणीय जागरूकता को प्रोत्साहन देना है।

(ड.) वनों का विकास और सरंक्षण मुख्यत: राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों की जिम्मेदारी है। मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार वनों का प्रबंधन किया जाता है।

भारत सरकार ने वनाधारित उद्योगों के विकास और प्रगति के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं हैं:-

i. कृषि मंत्रालय ने राष्ट्रीय वनीकरण नीति 2014 बनाई है, जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ काष्ठ आधारित उद्योगों की कच्ची सामग्री की जरूरतों को पूरा करना और विदेशी मुद्रा की बचत करने के लिए काष्ठ और काष्ठ उत्पादों के आयात को कम करना है।

ii. मंत्रालय ने गैर-वनीय निजी भूमि पर वृक्षों की प्रजातियों के लिए वृक्षों की कटाई तथा पारगमन के विनियमन हेतु सांकेतिक दिशानिदेश जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य सुविधाजनक वातावरण तैयार करना है, जो व्यक्तियों को फार्म/कृषि/ वासभूमि में वानिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहन देता है।

iii. मंत्रालय ने काष्ठाधारित उद्योग (स्थापन और विनियमन) दिशानिदेश, 2016 जारी किये हैं और तत्पश्चात इन दिशानिदेशों का देश में इस क्षेत्र के विकास के लिए काष्ठाधारित उद्योगों से संबंधित विनियामक प्रक्रियाओं को विकेन्द्रित करने हेतु 2017 में संशोधन किया गया है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय प्लाइवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (आइपीआइआरटीआइ) बंगलौर, प्लाइवुड उद्योग के लिए वन उत्पादों के उपयोग तथा व्यापार और सम्बद्ध उद्योगों के संबंध में प्रशिक्षण देता है। यह एग्रों और वन उत्पादों, आसंजकों, लेमिनेटों और/या सिन्थेटिक फिनिशिंग, विनिर्माण मशीनरी की प्रौद्यौगिकी में पूर्व स्नातक, स्नातकोत्तर और/या अन्य स्तर पर तकनीकी शिक्षा और/या प्रशिक्षण प्रदान करता है। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आइसीएफआरई) देहरादून भी कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है। युवा लोगों को पर्यावरण वन और वन्यजीव क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने और उन्हें लाभप्रद रोजगार/स्वरोजगार प्रदान करने के लिए एमओईएफएण्डसीसी ने प्रायोगिक आधार पर जून, 2017 में एक हरित कौशल विकास कार्यक्रम (जीएसडीपी) की शुरूआत की है। अब इस कार्यक्रम को अखिल भारतीय स्तर तक उन्नत किया जा रहा है। 2018-19 के दौरान 30 से अधिक कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनके अन्तर्गत पीबीआर, कच्छवनस्पति संरक्षण, बांस प्रबंधन और आजीविका सृजन सहित विविध क्षेत्रों यथा प्रदूषण निगरानी (वायु/जल/मृदा), मलजल शोधन संयंत्र (एसटीपी)/बहि:स्राव शोधन संयंत्र (ईटीपी)/साझा और संयुक्त बहि:स्राव शोधन संयंत्र कार्य (सीईटीपी) अपशिष्ट प्रबंधन, वन प्रबंधन, जल बजटिंग और लेखपरीक्षा, नदी की डाल्फिनों का संरक्षण, वन्यजीव प्रबंधन, पैरा टैक्सोनोमी शामिल हैं।

*****